महत्वपूर्ण

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

पत्रांक–74/17/वि०प्रा०/विन्यास/2018–19 अनु०ह०   दिनांक– 13.9.19

सेवा में,

श्री दिनेश प्रताप सिंह उर्फ दिनेश प्रताप सिंह
पुत्र स्व० कृष्ण प्रसाद व श्रीमती शान्ति देवी
आ०सं० – 28 व 29 मौजा – छहुआ – शिवपुर

महोदय,

आराजी संख्या– 28 व 29 मौजा छहुआ परगना अठगॉव वार्ड शिवपुर पर आप द्वारा एक अनु० दुकान मानचित्र स्वीकृत कराया गया है, जो पत्र दिनांक.................... द्वारा निर्गत है।

पर्यावरण को नियंत्रित करने की मैकेनिजम तथा इसकी मॉनीटरिंग की व्यवस्था (SOP) विषयक हेतु मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० स०–21/2014 तथा एम०ए० सं०–360/2016 में पारित आदेशो के अनुपालन मे तथा मुख्य सचिव महोदय के पत्रांक– 1760/पी०एस० एम०एस०/2016 दिनाक 18.11.2016 एव विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन के पत्रांक 3595/नौ–5– 206–29 रिट/2014 दिनाक 08.11.2016 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ निर्माण एव विकास प्रक्रिया से जनित प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्थलो पर निम्नानुसार मैकेनिजम अपनाये जाने के निर्देश दिये गये है, जो निम्नवत है –

- Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on and part of the street, roads in any colony.
- The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.
- All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.

- The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.
- The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
- Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.
- Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all material help, investigation and treatment to the workers involved int the construction of building and carry of construction material and debris relatable to dust emission.
- It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.
- All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with be fixing sprinkles and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.
- Wind breaking walls around construction site.
- All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.
- Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.
- Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.
- Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.
- The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.
- Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance. Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.
- Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a year.

- Pollution Under Control (PUC) certificate are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.
- Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.
- Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.
- Viable emission control technologies exit to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysis (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR). Lean Nox catalysts (LNXs), Lean Nox traps (LNTs).
- Green belt creation will also act as a mitigating factor.

कृपया अपने उक्त भवन के निर्माण में उपरोक्तानुसार NGT के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित् करते हुए ही भवन निर्माण करायें तथा स्थल पर वांछित पेड़/ग्रीनरी एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व अन्य वांछित व्यवस्थाएं जो आपके मानचित्र पर निर्धारित है, को पूर्ण कराने के उपरान्त पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवेदन करें।

उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में आप द्वारा किये जा रहे अनुपालन की मासिक सूचना अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13-4-19

जोनल अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (मानचित्र)

d/bhawan/nirman/rajkumar/letter

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

सेवा में,

श्री दिनेश प्रताप सिंह उर्फ दिनेश प्रसाद सिंह पुत्र स्व0 कृष्ण प्रसाद
व श्रीमती शालिनी देवी पत्नी श्री विभव नारायण शर्मा,
आराजी संख्या–28 व 29, मौजा–हरहुआ, परगना–अठगावाँ,
वार्ड–शिवपुर, वाराणसी।

पत्रांक : 34/17डि०/वि0प्रा0/ग्रि-मा0/2018–19 दिनांक : 20.06.2018

विषय : आराजी संख्या–28 व 29, मौजा–हरहुआ, परगना–अठगावाँ, वार्ड–शिवपुर वाराणसी पर प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.05.2018 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। आप द्वारा प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया है। निम्नांनुसार धनराशि दिनांक जमा करने का कष्ट करें :–

1.	सुपरविजन शुल्क	1,14,261.00
2.	विकास शुल्क	43,58,015.00
3.	शेल्टर शुल्क	44,99,200.00
4.	प्लान शुल्क	31,600.00
	योग–	**90,03,076.00**

उपरोक्तानुसार सेस शुल्क रू0 13,43,336.00 का बैंक ड्राफ्ट उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के नाम लेते हुए तथा आगणित धनराशि रू0 90,03,076.00 प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।

नोट :–

1. पक्षगण को प्रश्नगत स्थल पर 12 पेड़ लगाना होगा।
2. कूड़ा संयचन की पर्याप्त व सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित् करनी होगी। इस आशय का शपथ पत्र आवश्यक है।
3. नगर निगम, जल संस्थान, विद्युत विभाग, अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति अपेक्षित है।
4. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था मानचित्र में दर्शित की गयी है जिसे स्थल पर सुनिश्चित् करना होगा।
5. स्ट्रक्चरल इंजीनियर व आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण भूकम्परोधी होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिया जायेगा। पक्ष, आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल इंजीनियर को यह सुनिश्चित् करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी ही होगा, अन्यथा कोई अप्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष, स्ट्रक्चरल इंजीनियर व आर्किटेक्ट की होगी।
6. भू–स्वामित्व एवं रास्ता सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में प्रस्तुत मानचित्र स्वतः अस्वीकार माना जायेगा और ऐसी दशा में इसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। इस आशय का शपथ पत्र भी आवश्यक होगा।

7. स्ट्रक्चरल डिजाइन को आई०आई०टी० रुड़की अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट तकनीकी संस्थान के इंजीनियर के प्रोफेसर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

8. रूफ टाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत रूफ टाफ एरिया पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा। पक्ष को इस बिन्दु पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. क्षेत्र में पी.एन.जी. की उपलब्धता पर प्रत्येक फ्लैट होल्डरों को पी.एन.जी. कनेक्शन लिया जाना अनिवार्य है। इसकी व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में पक्ष को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. बेसमेन्ट में वेन्टिलेशन की व्यवस्था मैकेनिकल होना मानचित्र में दर्शित है इसको स्थल पर सुनिश्चित् करना होगा।

11. पार्किंग का 10 प्रतिशत भाग विजीटर पार्किंग हेतु अलग से आरक्षित किया जायेगा जिसमें प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था की जायेगी।

12. वाराणसी विकास प्राधिकरण अथवा न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र हेतु पक्ष द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत की गयी है, जो दाहिनी ओर अवलोकनार्थ संलग्न है।

13. भविष्य में यदि विभाग द्वारा शुल्कों की कोई देयता निकलती है, तो वह देय होगा।

14. स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में पक्ष को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15. सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम की व्यवस्था मानचित्र में दिखाई गयी है, जिसे स्थल पर सुनिश्चित् करना होगा।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी (मानचित्र)।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत वितरण मंडल
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0
पत्रालय– डी0एल0डब्लू0 वाराणसी।

CIN-U31200UP2003SGC027461

Email ID - dgmedcvns@gmail.com Phone No. -0542-2316575/Fax No.-0542-2300137

पत्रांक : 873 /वि0वि0मं0(वा0)/ दिनांक : 20-2-19

विषय : आराजी सं0 28,29 मौजा हरहुआ, वाराणसी में प्रस्तावित मानचित्र के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता (भवन)
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 74/17/वि0प्रा0/विन्यास/2017–18 दिनांक 09.11.17 को संदर्भित करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, वाराणसी के द्वारा प्रेषित स्थलीय जाँच रिर्पोट के आधार पर उक्त आराजी सं0 28,29 मौजा हरहुआ, वाराणसी पर अनापत्ति पत्र निम्न प्रतिबन्धो के साथ जारी किया जाता है कि–

1. भवन निर्माण के समय अस्थाई संयोजन लेना अनिवार्य है।
2. भवन निर्माण करते समय विद्युत के तार पोल को कोई क्षति नहीं पहुँचेगी, क्षति होने पर पूर्ण जिम्मेदारी भवन निर्माणकर्ता की होगी।
3. प्रत्येक उपभोक्ता के लिए मीटर लगाने का स्थान भूतल पर उपलब्ध कराया जायेगा। एवं निर्माण बाहर से पहुँच योग्य कराना पड़ेगा।
4. भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात विद्युत उपकेन्द्र पर क्षमता होने, स्वतंत्र परिवर्तक लगाने एवं 11 के0वी0 मीटरिंग पर ही विद्युत संयोजन निर्गत किया जायेगा।

वर्तमान में भूखण्ड के पास कोई लाइन एवं केबिल नहीं है, जिससे निर्माण कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

अतः उक्त शर्तों के अनुपालन के साथ मानचित्र स्वीकृती प्रदान की जा सकती है।

(डी0के0 त्यागी)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
नगर निगम, वाराणसी।

सेवा में,

नगर अभियन्ता (भवन)
वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी।

पत्र संख्या– 310/राजस्व/18-19 दिनांक– 28/06/18

<u>विषय–मानचित्र अनापत्ति के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय से प्राप्त पत्रांक–74 / 17ग्रु0हा0 / विन्यास / वि0प्रा0 / 17–18 दिनांक–09.11.2017 श्री दिनेश प्रसाद सिंह पुत्र स्व0 कृष्ण प्रसाद व श्रीमती शालिनी देवी पत्नी श्री विभव नारायण द्वारा प्रस्तुत मानचित्र आराजी नं0–28,29 मौजा–हरहुआ, परगना–अठगॉवा, तहसील–पिण्डरा जिला वाराणसी, विभागीय आख्यानुसार उक्त प्रस्तावित स्थल नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है।

तदनुसार अवगत हो।

भवदीय

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
नगर निगम वाराणसी।

प्रेषक— सहायक अभियन्ता (उत्तरी)

☎ फैक्स 0542—2276339
0542—2276975
0542—2500448
0542—2275827

जल कल विभाग नगर निगम

वाराणसी।

सेवा में,

नगर अभियन्ता (भवन)
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

पत्रांक— /अ.अ. (उ.)/ज.क.न.नि./18—19	दिनांक / /2018
विषय— आराजी भूखण्ड संख्या—28, 29 मौजा हरहुआ परगना अठगांवा शिवपुर वाराणसी पर मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 74/17 गु0 हा0/विन्यास/17/18 दिनांक 09.11.17 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त भूखण्ड नगर निगम वाराणसी की सीमा के बाहर है। अतः मानचित्र स्वीकृत करने में जल कल विभाग, नगर निगम, वाराणसी को कोई आपत्ति नही है।

भवदीय

सहायक अभियन्ता(उ0)
ज.क.न.नि.,वाराणसी।

पत्रांक — 242 /अ.अ. (उ.)/ज.क.न.नि./18—19 दिनांक— 20/06/2018
प्रतिलिपि —

1. अधिशासी अभियन्ता (उ0) महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री दिनेश प्रताप सिंह उर्फ दिनेश प्रसाद सिंह पुत्र स्व0 कृष्ण प्रसाद व श्रीमती शालिनी देवी आराजी भूखण्ड संख्या—28,29 मौजा हरहुआ शिवपुर वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

20.6.018

सहायक अभियन्ता(उ0)
ज.क.न.नि.,वाराणसी।

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी

पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3(सी)भवन/2018 दिनांकः 06 SEP 2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता (भवन),
वाराणसी विकास प्राधिकारण,
वाराणसी

विषयः– ओनर्स–श्री दिनेश प्रताप सिंह उर्फ दिनेश प्रसाद सिंह पुत्र स्व0 कृष्ण प्रसाद व श्रीमती शालिनी देवी पत्नी श्री विभव नारायण शर्मा, डेवलेपर्स–मेसर्स–गणपति इन्फ्राटेक अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजीव कपूर पुत्र श्री अनिल कपूर द्वारा आराजी नं0–28 व 29, मौजा–हरहुआ, परगना–अठगॉवा, तहसील–पिण्डरा, वाराणसी पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

संदर्भः– आपके पत्रांकः 74/17/ग्रु0हा0/वि0प्रा0/विन्यास/2017–18 दिनांकः 09.11.2017 एवं आवेदक के प्रार्थना पत्र दिनांकः 28.08.2018

कृपया अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो ओनर्स–श्री दिनेश प्रताप सिंह उर्फ दिनेश प्रसाद सिंह पुत्र स्व0 कृष्ण प्रसाद व श्रीमती शालिनी देवी पत्नी श्री विभव नारायण शर्मा, डेवलेपर्स–मेसर्स–गणपति इन्फ्राटेक अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजीव कपूर पुत्र श्री अनिल कपूर द्वारा आराजी नं0–28 व 29, मौजा– हरहुआ, परगना–अठगॉवा, तहसील–पिण्डरा, वाराणसी पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार जीवरक्षा एवं अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्त संबंध में प्रस्तावित स्थल का जीवरक्षा एवं अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी, चेतगंज, वाराणसी द्वारा किया गया, प्राप्त उनकी आख्या दिनांकः 03.09.2018 का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया, जिसके अनुसार विवरण निम्नवत् है:–

A. भवन की संरचनाः–

AREA CHART

TOTAL PLOT AREA (A,B,C,D,E,F,G,H,I,A)=	3057.47 SQM
ROAD WUDENING(A,B,H,I,A)=	122.75 SQM
AGRICULTURE LAND(B,C,G,H,B) AREA=	666.28 SQM
NET PLOT AREA(C,D,E,F,G,C)=	2268.41 SQM
OPEN AREA GROUND FLOOR=	1443.33 SQM
COVERED AREA ON BASEMENT F.=	922.77 SQM
COVERED AREA ON STILT FLOOR=	824.95 SQM
LIFT OPEN AREA=	07.30 SQM
COVERED AREA ON F.F. (DEDUCTION OF LIFT AREA)=	817.65 SQM
COVERED AREA ON S.F.=	817.65 SQM
COVERED AREA ON T.F.=	817.65 SQM
COVERED AREA ON F.F.=	817.65 SQM
COVERED AREA ON F.F.=	817.65 SQM
COVERED AREA ON S.F.=	817.65 SQM
COVERED AREA ON S.F.=	232.09 SQM
TOTAL COVERED AREA=	5137.99 SQM

CFO VNS

—2पर

F.A.R.=	2.265
% GROUND COVERAGE=	36.37%
5%SERVICES AREA=5%OF TOTAL COV. AREA	
5% OFF. 5139.03=	256.95 SQM
MUMTY & LIFT MACHINE AREA=	69.80 SQM
WATER TANK AREA=	48.54 SQM
SOCIETY HALL AREA=	135.77 SQM
GUARD AREA=	1.60 SQM
TOTAL COV. AREA FOR SERVICES	
(69.80+48.54+135.77+1.60)=	255.71 SQM

B. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी:— प्रस्तावित भवन का अधिभोग एन.बी.सी. 2016 की आवासीय भवन (ए–4) की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

C. ढांचागत व्यवस्था:—

1. पहुँच मार्ग:— प्रस्तावित भवन मानचित्र के अनुसार 12.00 मीटर चौड़ी रोड पर स्थित है।
2. प्रवेश द्वार की चौड़ाई— प्रस्तावित भवन के मानचित्र में एक प्रवेश द्वार बनाया जाना है। प्रवेश द्वार की चौड़ाई 04.50 मीटर व ऊँचाई 05.00 मीटर से कम न रखी जाय।
3. सेटबैक :— प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत है:—

<u>टावर–1</u>

ए—	अग्रभाग—	07.00 मीटर
बी—	पृष्ठभाग—	07.00 मीटर
सी—	पार्श्व प्रथम—	07.00 मीटर
डी—	पार्श्व द्वितीय—	07.00 मीटर

प्रस्तावित भवन का सेटबैक नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया— 2016 के पार्ट III के क्लाज 8.2.3.1 टेबल— 2 के अनुसार है। सेटबैक को हमेशा अवरोध मुक्त रखा जायेगा। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

4. निकास मार्ग:— प्रस्तावित भवन में 03 स्टेयर केस बनाया जाना है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रैवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। प्रस्तावित भवन में स्टेयर केस की चौड़ाई 01.25 मीटर से कम न रखी जाय। बेसमेन्ट से निकास हेतु दो रैम्प बनाया जाना है। प्रस्तावित भवन में रैम्प का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया— 2016 के पार्ट III के फिग.—8बी के अनुरुप बनाया जाना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित भवन के 06वें तल से सीधे बेसमेन्ट में आने वाली स्टेयर केस को नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया— 2016 के पार्ट III के क्लाज 12.9.3 के अनुरुप भूतल पर टर्मिनेट कर दिया जाय, या 02 घण्टा रेटिंग के स्मोक चेकडोर/फायर चेकडोर लगाया जाना आवश्यक होगा। किसी भी दशा में ऊपरी तलों से आने वाली स्टेयर केस में बेसमेन्ट तक निरन्तरता न रखी जाय। बेसमेन्ट का निर्माण व प्रयोग नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—

——3पर

2016 के पार्ट III के क्लाज 12.9 के अनुरुप किया जाना आवश्यक होगा।

5. ऊँचाई– प्रस्तावित भवन की भूमि तल से ऊँचाई 21.00 मीटर है।

6. रिफ्यूज एरिया का विवरणः– निल

D. प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीवरक्षा प्रणालीः–

नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं पूर्ण किया जाना अनिवार्य हैः–

1. भूमिगत टैंक– प्रस्तावित भवन में भूमिगत टैंक स्थापित किया जाना आवश्यक नहीं है।
2. पम्पः– प्रस्तावित भवन में भूमिगत टैंक के पास पम्प स्थापित किया जाना आवश्यक नहीं है।
3. होजरीलः– प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई.एस.–3844 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
4. वेट राइजर सिस्टमः– प्रस्तावित भवन में वेट राइजर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक नहीं है।
5. डाउन कमर सिस्टमः– प्रस्तावित भवन में डाउन कमर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया– 2016 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
6. यार्ड हाइड्रेन्टः– प्रस्तावित भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेन्ट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज पाइप तथा ब्रांच एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई.एस.–13039:1991 के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक नहीं है।
7. हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टमः– प्रस्तावित भवन में मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया– 2016 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
8. स्वचालित डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टमः– प्रस्तावित भवन में आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 के मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
9. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टमः– प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
10. टैरेस टैंकः– प्रस्तावित भवन के टैरेस पर 25,000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
11. टैरेस पम्पः–प्रस्तावित भवन के टैरेस टैंक के पास 900 एल0पी0एम0 क्षमता का टैरेस पम्प स्थापित किया जाना आवश्यक है,
12. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)ः– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) आई.एस.–2190:2010 के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
13. एक्जिट साइनेजः– प्रश्नगत भवन में एक्जिट साइनेज स्थापित किया जाना आवश्यक है।

—4पर

14. **पी0ए0 सिस्टमः–** पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था का किया जाना आवश्यक है।
15. प्रश्नगत भवन में वैकल्पिक विद्युत श्रोत हेतु जनरेटर की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
16. प्रश्नगत भवन का बिल्डिंग लाइन के बाहर बेसमेन्ट का जो भी भाग सेटबैक में जा रहा है, उसके लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 के पार्ट III के क्लाज 4.6(सी) के अनुसार बेसमेन्ट के स्लैब की लोड बियरिंग क्षमता न्यूनतम् 45 टन रखते हुए उसका प्रमाण पत्र स्ट्रक्चलर इंजीनियर से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. बेसमेन्ट से धुऑं निकास हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 पार्ट–IV के क्लाज 4.6.2 के मानकों के अनुसार मैकेनिकल वेन्टीलेशन में मेकैनिकल एक्सट्रैक्टर व एयर इन्टेक मेकैनिकल साफ्ट के माध्यम से किया जाय।
18. अनुमोदित मानचित्र में विचलन/परिवर्तन/परिवर्द्धन किसी भी दशा में न किया जाए, यदि आवश्यक है तो पुनः अग्निशमन विभाग से मानचित्र अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा।

उपरोक्तानुसार ओनर्स–श्री दिनेश प्रताप सिंह उर्फ दिनेश प्रसाद सिंह पुत्र स्व0 कृष्ण प्रसाद व श्रीमती शालिनी देवी पत्नी श्री विभव नारायण शर्मा, डेवलेपर्स–मेसर्स–गणपति इन्फाटेक अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजीव कपूर पुत्र श्री अनिल कपूर द्वारा आराजी नं0–28 व 29, मौजा– हरहुआ, परगना–अठगॉवा, तहसील–पिण्डरा, वाराणसी पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा उक्त भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 एवं यथा संशोधित 2016 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 में उल्लेखित मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर तथा भवन का उपभोग करने से पूर्व उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर निर्गत प्रोविजनल अग्निशमन प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक– अनुमोदित मानचित्र।

(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी

06 SEP 2018

प्रतिलिपिः–

1. अग्निशमन अधिकारी, चेतगंज, वाराणसी को उनकी आख्या दिनांकः 03.09.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।